

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)

// विविध आदेश //

क्रमांक.....10\...../

रीवा, दिनांक 11 / 04 / 2025

/दो-15-3/90

माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के आदेश क्रमांक-632/गोपनीय / 2025 / 11-2-1/25 जबलपुर दिनांक-27.03.2025 के द्वारा श्रीमती प्रीतिशिखा अग्निहोत्री षष्ठम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा का स्थानांतरण जिला स्थापना जबलपुर होने एवं उनके स्थान पर किसी भी अन्य न्यायिक अधिकारी की पदस्थापना न होने एवं माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के आदेश क्रमांक-717/गोपनीय / 2025 / 11-2-1/25 जबलपुर दिनांक-07.04.2025 के द्वारा श्री अशरफ अली को इस न्यायिक जिला स्थापना के अंतर्गत 19वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा की हैसियत से रिक्त न्यायालय में पदस्थापित किये जाने के फलस्वरूप सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा-24 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-448 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कॉलम नंबर-02 में दर्शित न्यायालय से कॉलम नंबर-03 में दर्शित सूची अनुसार सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों को वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु कॉलम नंबर-04 में दर्शित न्यायालय में अंतरित किया जाता है:-

क.	न्यायालय का नाम जहां से प्रकरण की सूची प्राप्त हुई है.	प्रकरण का प्रकार एवं नाम	प्रकरण जिस न्यायालय को स्थानांतरित किया गया है.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	षष्ठम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा (रिक्त न्यायालय)	RCA No- 01 to 34 MACC No- 1 to 258 RCS HM No- 01 to 35 RCSA No- 01 to 13 EX-MJC No- 01 to 75 UNCIV No- 01 to 21 MJC No- 01 to 23 MCA No- 01 to 18 MJC MACC No- 01 to 03 ST No- 01 to 51 CRA No- 01 to 03	19वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा (नवीन न्यायालय)

नोट:- षष्ठम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा (रिक्त न्यायालय) के क्लेम प्रकरणों के भुगतान से संबंधित समस्त कार्यवाही 19वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा किया जावेगा।

Sd/-
(राकेश मोहन प्रधान)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)

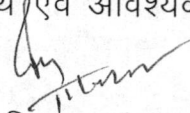
पृष्ठांकन क्र० 1822 /

रीवा, दिनांक 18/04/2025

/दो-15-3/90

प्रतिलिपि:-

1. षष्ठम/19वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा (म०प्र०)
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा।
3. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म०प्र०)।
- ✓ 4. जे०एस०ए०/डी०एस०ए० की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने एवं संबंधित न्यायाधीशगण के ई-मेल में प्रेषित किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म०प्र०)